न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 04/2025 तारीख रजू:— 28.04.2025

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1.	रणवीर	पिसरान प्रकाश	जाति नाई निवासी बेरखेडा
2.	कृष्णकान्त		
3.	बदनसिंह		
4.	भूपेन्द्र		तहसील सूरौठ जिला करौली
5.	भीमसिंह		
6.	माया बेबा प्रकाश		
7.	सुनीता पुत्री प्रकाश		राजस्थान ———— प्रार्थीगण

बनाम

1.	कैलाराम पुत्र गुरगा	समस्त जाति जाटव
2.	जैसीराम पुत्र रामोली	निवासी जाटव बस्ती बेरखेडा
3.	रामबाबू पुत्र रामोली	तहसील सूरौठ,
4.	सुरज्ञान पुत्र भरोसी	जिला करौली राजस्थान।

5. तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली ———— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 एल.आर. एक्ट व धारा 212 आर.टी.एक्ट करवाये जाने सीमाज्ञान पत्थगढी व हुक्मईत्नाई दवामी

उपस्थित :— 1. श्री एस.एल. चौधरी एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :— 09.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 एल.आर.एक्ट व धारा 212 आर.टी.एक्ट करवाये जाने सीमाज्ञान पत्थरगढी व हुक्मईम्तनाई दवामी विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 मे दर्ज किया है कि आराजी खसरा नं. 50/1

रकबा 1.10 हैक्टेयर स्थित गाँव बेरखेडा, तहसील सूरौठ, जिला करौली है जो प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि है जिससे प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी व्यक्ति व अप्रार्थीगण का कोई सम्बंध किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज आराजीयात का मौके पर खेत बना रखा है लेकिन मौके पर प्रार्थीगण की खातेदारी से सटेमा सरकारी भूमि खाली पड़ी हुई है जिसमें अस्थायी रुप से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 जबरन कब्जा करने की फिराक में है लेकिन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मुतजिका मद नं. 1 प्रार्थना पत्र का मौके पर सीमाज्ञान नही होने के कारण अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर कब्जा करके प्रार्थीगण को बेदखल करने पर तुले हुए हैं जबकि अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 4 का प्रार्थीगण की भूमि से कोई सम्बंध किसी प्रकार का नही है फिर भी अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सीमा को तोडकर मौके पर नुकसान करते रहते हैं व हमेशा झगडे पर उतारु रहते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 4 झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो लठ्ठ के बल से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से झगडा फसाद पर उतारु रहते हैं। प्रार्थीगण की आराजी मुतजिका मद नं. 1 का मौके पर स्पष्ट सीमाज्ञान नहीं होने के कारण, पत्थरगढी नही होने के कारण अप्रार्थीगण नाजायज फायदा लेने की गरज से रहते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि घटना दिनांक 20.04.2025 को सुबह 8 बजे की है कि प्रार्थीगण अपने खेत की मौके पर देखभाल व साफ, सफाई कर रहे थे तो अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 50/1 में खडे पेडों को काट रहे थे। प्रार्थीगण ने पेड़ों को काटने से मना किया अप्रार्थीगण नाराज हो गये व झगडे पर उतारु हो गये तथा मारपीट करने पर आमादा हुए तथा अप्रार्थीगण एकराय होकर बोले कि यह तो सरकारी भूमि है, हम तो इस पर लट्ठ के बल से कब्जा करेगें, ज्यादा विरोध किया तो तुम्हें झूठे छुआछूत के मुकदमों में फँसा देगें तथा जमानत तक नहीं होने देगें और तुम्हें

इस भूमि में पैर तक नहीं रखने देगें। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को काफी समझाया व अन्य लोगों से भी समझवाया लेकिन अप्रार्थीगण नहीं माने व कहने लगे कि जब तक मौके पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी नहीं करवा लेते हो तब तक हम तो कब्जा करेंगें। यदि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी, इस कारण प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर, करवाये जाने पत्थरगढी एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि विनाय प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 दिनांक 20.04.2025 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर स्थित पेडों की कटाई व जबरन कब्जा करने की धमकी व प्रयास वर्णित प्रार्थना पत्र मद नं. 4 गाँव बेरखेडा, तहसील सूरौठ उत्पन्न हुई है, इसलिए प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर अतिक्रमण करने की धमकी दी गई है व अप्रार्थी सं. 5 तहसीलदार लैण्ड होल्डर है, इस कारण पक्षकार बनाये गये है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण की आराजीयात मुतजिका मद नं. 1 प्रार्थना पत्र वाके ग्राम बेरखेडा, तहसील सूरौठ होने एवं दृ ष्टि लगानी भूमि होने के कारण प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार न्यायालय को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के कब्जे व खातेदारी की भूमि खसरा नं. 50/1 रकबा 1.10 हैक्टेयर स्थित गॉव बेरखेडा, तहसील सूरौठ का जरिये तहसीलदार सूरौठ अप्रार्थी सं. 5 के द्वारा सीमाज्ञान करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करें। साथ ही अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 प्रार्थीगण

की भूमि खसरा नं. 50/1 में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करें तथा शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें। प्रार्थीगण की डोलमेढ से छेडछाड नही करें तथा पेडों को नही काटे व प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करें तथा ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें जिससे हक हकूक प्रार्थीगण कोई क्षति किसी प्रकार की पहुँचती हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 04.08.2025 को अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 पेश की हैं।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 50/1 रकबा 1.10 है0 वाके ग्राम बेरखेडा तहसील सूरौठ की खातेदारी कृष्णकान्त पुत्र प्रकाश हि0 1/16, बदनसिंह पुत्र प्रकाश हि0 1/16, भूपेन्द्र पुत्र प्रकाश हि0 1/16, भीमसिंह पुत्र प्रकाश हि0 1/16, माया पत्नि प्रकाश हि0 9/16, रणवीरसिंह पुत्र प्रकाश हि0 1/16, सुनीता पुत्री प्रकाश हि0 1/16, हरीमोहन पुत्र प्रकाश हि0 1/16 जाति नाई सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 50/1 रकबा 1.10 है0 वाके ग्राम बेरखेडा तहसील सूरौठ के सायलान कृष्णकान्त पुत्र प्रकाश हि0 1/16, बदनसिंह पुत्र प्रकाश हि0 1/16,

भूपेन्द्र पुत्र प्रकाश हि0 1/16, भीमसिंह पुत्र प्रकाश हि0 1/16, माया पत्नि प्रकाश हि0 9/16, रणवीरसिंह पुत्र प्रकाश हि0 1/16, सुनीता पुत्री प्रकाश हि0 1/16, जाति नाई सा0देह खातेदार काश्तकार हैं तथा हरीमोहन पुत्र प्रकाश हि0 1/16 जाति नाई सा0देह खातेदार काश्तकार है। जिसको प्रार्थीगण ने पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में नॉन जोईण्ड ऑफ पार्टीज का नुख्स आरिज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं होने से खारिज योग्य है। क्योंकि प्रार्थीगण ने उक्त विवादित आराजी के रिकोर्डेड सहखातेदार हरीमोहन पुत्र प्रकाश जाति नाई को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। जबकि हरीमोहन पुत्र प्रकाश नाई आवश्यक पक्षकार था। उक्त विवादित आराजीयात के प्रार्थीगण सैल्फ खातेदार नहीं है। इसलिए खातेदार हरीमोहन पुत्र प्रकाश नाई की सहमति के बिना सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने के प्रार्थीगण अधिकार साबित नहीं होते हैं। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 एल.आर.एक्ट व धारा 212 आर.टी.एक्ट करवाये जाने सीमाज्ञान पत्थरगढी व हुक्मईम्तनाई दवामी विरूद्ध अप्रार्थीगण खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 एल.आर.एक्ट व धारा 212 आर.टी.एक्ट करवाये जाने सीमाज्ञान पत्थरगढी व हुक्मईम्तनाई दवामी विरूद्ध अप्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 50/1 रकबा 1.10 है0 वाके ग्राम बेरखेडा तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली